केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

8वीं मंजिल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,नौरोजी नगर,
नई दिल्ली – 110029, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

के वि वि आयोग CERC

सत्यमेव जयते

याचिका सं.102 / टीएल / 2024 दिनांकः 03.06.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, विंडसर, प्रथम तल, यूनिट नं.101, कलिना, सांताक्रूज, ईस्ट मुंबई – 400098, महाराष्ट्र द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर "पश्चिमी प्रदेश विस्तार योजना XXXIII (डब्ल्यूआरईएस– XXXIII): भाग ग" की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	1x330 एमवीएआर, 765 केवी एवं 1x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर के साथ ईशानगर (नया) पर 2x1500 एमवीए, 765 / 400 केवी और 2x500 एमवीए, 400 / 220 केवी सबस्टेशन की स्थापना • 765 / 400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी – 2 नंबर (एक स्पेयर आईसीटी यूनिट के साथ 7x500 एमवीए 1–फेस यूनिट) • 400 / 220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी – 2 नंबर • 765 केवी आईसीटी बे – 2 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे – 4 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे – 2 नंबर • 765 केवी लाइन बे – 2 नंबर • 330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर – 1 नंबर (एक स्पेयर यूनिट सहित 4x110 एमवीएआर) • 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर – 1 नंबर • 765 केवी बस रिएक्टर बे: 1 नंबर • 400 केवी बस रिएक्टर बे: 1 नंबर • 220 केवी बस कप्लर बे: 1 नंबर • 220 केवी ट्रांसफर बस कप्लर (टीबीसी) बे – 1 नंबर • 220 केवी लाइन बे – 6 नंबर (एमपीपीटीसीएलरु द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 220 केवी लाइनों के लिए) **भावी प्रावधानः** निम्नलिखित के लिए स्थान • बे के साथ 765 / 400 केवी आईसीटी – 4 नंबर • स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे – 8 नंबर • बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टरः 3 नंबर • 765 केवी सेक्शनलाइजरः 1 सेट • स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे – 10 नंबर • बे के साथ 400 / 220 केवी आईसीटी – 7 नंबर • बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टरः 3 नंबर • 400 केवी बस सेक्शनलाइजर बे: 1–सेट • 220 केवी लाइन बे: 12 नंबर • 220 केवी सेक्शनलाइजर बे: 2 सेट • 220 केवी बीसी और टीबीसी: 2 नंबर	24 मास
2.	ईशानगर 765 केवी सबस्टेशन (नया) पर जबलपुर – उरई 765 केवी. डी / सी लाइन के एक सर्किट का लीलो	

#765 / 400 / 220 केवी ईशानगर पर 220 केवी ईशानगर 765 / 400 / 220 केवी – जतारा 220 केवी डी / सी लाइन और छतरपुर – टीकमगढ़ 220 केवी 2xएस / सी लाइन का लीलो (वर्तमान में छतरपुर – टीकमगढ़ 220 केवी द्वितीय सीकेटी कार्यान्वयन के अधीन है)

<u>नोट:</u>

(i) कार्यान्वयन समयसीमाः एसपीवी ट्रांसफर की तारीख से 24 मास

(ii) एमपीपीटीसीएल, आईएसटीएस प्रणाली की समय–सीमा का मिलान करने में डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का निष्पादन करेगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 11.3.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 102 / टीएल / 2024 में दिनांक 31.5.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **https://www.indigrid.co.in/documents-manager/** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **16.6.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **18.6.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव